A5
1

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –117/2020
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020/00150

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट्स**
पुरखाराम पुत्र श्री हणुताराम जाति ब्राम्हण निवासी सियागो की ढाणी (टांकला) तहसील व जिला नागोर (राजस्थान)		1. ज्यानीदेवी पत्नि श्री राजूराम 2. सुगनीदेवी पत्नि श्री अम्बालाल 3. सत्यनारायण पुत्र श्री अम्बालाल 4. शिवलाल पुत्र श्री अम्बालाल जातियान ब्राम्हण निवासीगण सियागो की ढाणी (टांकला) तहसील व जिला नागौर (राजस्थान) 5. सोहनीदेवी पुत्री श्री हणुताराम पत्नि श्री खम्माराम जाति ब्राम्हण निवासी अखासर तहसील खीवसर जिला नागौर (राजस्थान) 6. तहसीलदार नागौर जिला नागौर (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–6 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजपैरोकार।

निर्णय **दिनांक–27.04.2022**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा सियागों की ढ़ाणी खसरा नमबर 120 के संबंध में धारा 53 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रार्थना पत्र पर किये गये बंटवाड़ा आदेश क्रमांक–भू.अ./रा.शि. /08/16 दिनांक 04.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.08.2020 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2, 3 व 4 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–5 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी द्वारा दिनांक 25.02.2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु दौराने बहस दिनांक 27.04.2022 को वकील श्री भंवरलाल चौधरी ने अवगत कराया एवं आदेशिका पर अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–5 को दूरभाष पर कई बार सूचित करने के बावजूद पैरवी के लिए नहीं आ रही है व न उसका कोई पैरोकार आ रहा है। Pleaded no instruction किया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी क्योकि अपीलान्ट अनपढ व अत्यधिक वृध्द व्यक्ति है तथा अपीलान्ट ने यही सोचकर अपना अंगुष्ठ निशान लगायी कि सडक से लगता सभी का बराबर बराबर हक हिस्सा रखा गया है मगर रेस्पो. संख्या 2 से 4 ने अपना निजी हित साधते हुए सम्पूर्ण कीमती जमीन जो सडक के पास वो अपने बन्ट मे रख ली जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं होने दी। अभी कुछ दिन पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के द्वारा सडक के पास भवन निर्माण करना शुरू किया तो अपीलान्ट ने मना किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 ने कहा कि उक्त जमीन हमारे [illegible] में है एवं बन्टवाडा में हमारे रखी गई है हम इस जमीन पर फेक्ट्री का निर्माण [illegible] लान्ट के पुत्र ने अपीलाधीन निर्णय के आदेश के पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 10.06.[illegible] को [illegible] पेश किया जिस पर दिनांक 17.08.2020 को नकले प्राप्त हुई। नकले प्राप्त होने पर [illegible] लान्ट एवं उसके पुत्र ने वकील से उसका अवलोकन करवाया तो [illegible] से किये गये बन्टवाडे की जानकारी प्रथम बार हुई जो जानकारी की तिथि से [illegible] मयाद है, जिसे अन्दर मयाद स्वीकार मानी जाना उचित एवं न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपीलान्ट का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान करावे। राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट मयाद बाहर से खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:28:32 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

AS/2

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में प्रकरण का मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि हाल खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा सियागो की ढाणी तहसील नागौर में स्थित है जिसके खातेदार अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 से 5 रहते आये जिनका संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहता चला आया था। उक्त संयुक्त खातेदारी के खेत का बन्टवाडा हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष पक्षकारान व्दारा बन्टवाडा हेतु दिनांक 4.12.2012 को आवेदन पेश किया गया तथा उसी दिन बिना मौका रिपोर्ट मंगाये ही पक्षकारान के मध्य बन्टवाडा की तमाम कार्यवाही पूर्ण करते हुए बन्टवाडा किया जाना घोषित किया गया। मगर उक्त बन्टवाडा मौके पर करना चाह रहे थे एवं जिस प्रकार से कब्जा काश्त था। कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवाडा नहीं किया गया तथा अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति था जिसको बन्टवाडा की कोई जानकारी नहीं रही। अब मौके पर रेस्पो. व्दारा भवन निर्माण कर उसमे फेक्ट्री लगानी शुरू की तब अपीलान्ट व उसके पुत्र व्दारा मना किया तो कहा कि सडक के पास वाली कोई जमीन मेरे बन्ट में है तब अपीलान्ट व्दारा तहसीलदार व्दारा किये गये बन्टवाडे की पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 10.06.2020 को आवेदन करने पर दिनांक 17.08.2020 को नकले प्राप्त होने पर अपीलान्ट को जानकारी हुई जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानो तथा मौके के तथ्यो एवं परिस्थितियो तथा विधि विरूध्द पारित किया जाना होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.12.2010 को आवेदन पत्र बन्टवाडा फार्म इत्यादि पेश किये गये तथा उसी दिन पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया इससे साफ जाहिर है कि जो मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं भू निरीक्षक व्दारा रिपोर्ट मौके की पेश करने की बात कही गई है मौके पर गये बिना ही तहसील कार्यालय में बैठे बैठे ही प्रफोर्मा कॉलम में रिपोर्ट का अंकन कर दिया गया है जबकि धारा 53 के अनुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को मौके पर जाकर के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की जानी होती है ऐसी रिपोर्ट तैयार मौके पर नहीं करने व मौका नहीं देखने से प्रथम दृष्टया अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 120 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा पूर्व में हणुताराम जी के नाम खातेदारी थी तत्पश्चात उनके फौत हो जाने के पश्चात उनका नामान्तरकरण उनके पुत्र राजूराम, पुरखाराम व अम्बालाल के नाम दर्ज हुआ जबकि हणुताराम की एक मात्र पुत्री सोहनीदेवी के नाम भी उक्त नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था तथा बन्टवाडा में भी सोहनीदेवी का हक हिस्सा बनता है मौके पर कब्जा काश्त भी है अगर मौका रिपोर्ट मौके से कब्जे बाबत बनायी जाती तो सोहनी देवी का हिस्सा भी कब्जे अनुसार होता एवं कानून एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार ही पुस्तेनी सम्पति में प्रत्येक वारिश पुत्र व पुत्री का बराबर बराबर हिस्सा होता है। वादग्रस्त भूमि में सोहनीदेवी का 1/4 हिस्सा है उसको पक्षकार व हिस्सेदार हिस्सा व खातेदार घोषित नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय व्दारा विधिक भूल की गई है।

वादग्रस्त खेत में राजूराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेच दिया केवल मात्र खसरा नम्बर 268/120 में हिस्सा है। राजूराम फोत हो गये उनकी एक मात्र वारिश ज्यानी है। मौके पर आज दिन उक्त खसरा जो शामिलाती में है वो उतरी तरफ है जिसमें सभी का कब्जा काश्त है तथा उतर से दक्षिणी तरफ रेस्पो. 2 से 4 उसके बाद दक्षिणी तरफ रेस्पो. संख्या 5 दक्षिणी तरफ अपीलान्ट का हिस्सा है जो सभी पक्षकारान का मौके पर कब्जा व हिस्सा है जो टांकला से सियागो की ढाणी जाने वाली पक्की सडक पर बराबर बराबर लगता है जबकि बन्टवाडा में नक्शा मौका बनाया गया वो कब्जे के विपरीत गलत रूप से रेस्पो. संख्या 2 से 4 ने मिलीभगत करके सम्पूर्ण डामर के पास वाली जमीन अपने पास रख ली। शेष खातेदारो की जमीन का बन्ट पीछे की तरफ बताते हुए गलत रूप से कब्जा व काश्त के विपरीत बन्ट बताते हुए पेश किया गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। क्योकि अपीलान्ट अनपढ एवं वृध्द [illegible] जिसको उक्त बन्टवाडा व नक्शा मौका की जानकारी नहीं रही, गलत रूप से बन्टवाडा [illegible] किया गया तथा रेस्पो. संख्या 2 से 4 ने कीमती जमीन को अपने पास रखकर एवं अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियो को अपने प्रभाव में लेकर के गलत रूप से निर्णय करवा लेने से अपास्त किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त खसरान की भूमि में 1/4 हिस्सा रेस्पो. संख्या–5 का निहित करता है क्योकि रेस्पो. संख्या 5 हणुताराम की पुत्री है जिसका कानूनी रूप से हिस्सा बनता है मौके पर बन्ट व कब्जा काश्त है केवल मात्र खातेदारी में नाम नहीं होने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पो. संख्या 4 को उसके हक हिस्से से महरूम किया गया है जबकि रेस्पो. संख्या 5 के व्दारा किसी भी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:28:32 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

A5/3

का अपना हक हिस्सा त्याग नहीं किया गया है इसके अलावा भी उसकी जानकारी के अभाव में बाले बाले ही बन्टवाडा करवा लिया जाने से एवं रेस्पो. संख्या 5 का हक हिस्सा नहीं रखने से भी उक्त आदेश कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकी अपीलान्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी नागौर व्दारा खसरा नम्बर 120 वाके मौजा सियागो की ढाणी (टाकला) तहसील नागौर बाबत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश दिनांक 4.12.2010 को अपास्त/रिमाण्ड/संशोधन करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा बंटवाडा के संबंध में विधिवत सम्पूर्ण प्रकिया उपरान्त ही आदेश पारित किया हुआ होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा सियागों की ढ़ाणी खसरा नमबर 120 के संबंध में धारा 53 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रार्थना पत्र पर किये गये बंटवाड़ा आदेश कमांक–भू.अ./रा.शि./08/16 दिनांक 04.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा खसरा नम्बर 120 वाके मौजा सियागों की ढाणी (टांकला) तहसील नागौर बाबत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश दिनांक 04.12.2010 को अपास्त/रिमाण्ड/संशोधन करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील को रिमाण्ड आदि करने के संबंध में दौराने बहस जो कथन किये गये है, उन कथनों अथवा प्रस्तुत अपील में दिये गये तथ्यों के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश कमांक–भू.अ./रा.शि./08/16 दिनांक 04.12.2010 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत कार्यवाही कर नये सिरे से आदेश पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णयं की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:28:32 IST
Reason: SelfAttested